


वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि बीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के पट्टे, जिस पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर प्रभारित किया गया है, पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और स्टाम्प शुल्क की रकम का 20 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव


**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the lease for a period not exceeding twenty years on which stamp duty is charged on the basis of market value of the property shall be reduced and charged 20% of the amount of stamp duty.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-124]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government